

फार्म

* अचल संपत्ति का विवरण वर्ष - 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - अवधेश प्रताप सिंह, विधान सभा सेवा 2. वर्तमान धारित पद - प्रमुख सचिव
3. वर्तमान वेतन अगसी वेतन वृद्धि की तारीख 1.01.2025



उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा आरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा आरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. भोपाल-वागमुगलिया अरविंद विहार	एच.आई.जी-693	2400 वर्गफिट	वर्तमान बाजार मूल्य अनुसार	स्वयं का पत्नी के नाम	म.प्र.गृह निर्माण मंडल से पट्टे पर, 2004 में वचत व बैंक से ऋण द्वारा।	निर्धन 30,000/-	
2. टीकमगढ़-तहु, जवारा ग्राम-जेवर		4 एकड़ कृषि भूमि	वर्तमान बाजार मूल्य अनुसार	स्वयं के नाम	विरासत	लगभग 30,000/-	
3. भोपाल-एम.पी.नगर प्रेस क्लबमदरेक्स	भवन/भूखण्ड	12075 वर्गफिट	वर्तमान बाजार मूल्य अनुसार	स्वयं/पिता के नाम	बी.डी.ए. से सीज पर वर्ष 1983-84 में		
4. बी-4 शिवाजी नगर, बी.डी.ए. कॉलोनी, भोपाल	आवासीय पुराना भवन	4300 वर्गफिट	वर्तमान बाजार मूल्य अनुसार	स्वयं व पत्नी के नाम	बी.डी.ए. के माध्यम से श्री अनंत सिंह उखेजा से 2020 में शासकीय अनुमति से ऋण बैंक से गृह ऋण व पारिवारिक वचत द्वारा	-	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार हटाने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली थी उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे व बंध या उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के बारे में दें।

हस्ताक्षर

नाम :- अवधेश प्रताप सिंह
पद :- प्रमुख सचिव
विभाग :- मध्यप्रदेश विधान सभा

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष -2025

143
75/11/25

03



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का ना, जिसमें वह हो भगवतदीन सिंह परस्ते 2. वर्तमान धारित पद अपर सचिव

3. वर्तमान वेतन 1,64,300 /-+ डी.ए. अगली वेतनवृद्धि की तारीखजुलाई, 2025.....

उस जिले, उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरा		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1- ग्राम भमरहा-11 पोस्ट-भन्ती तह.-व्यौहारी जिला-शहडोल (म.प्र.) (2) अयोध्या नगर भोपाल (म.प्र.)	पैत्रिक घर एवं जमीन	12.88 एकड़ पैत्रिक संयुक्त जमीन एच.आई.जी. (एस.आर.) बी-247	40 लाख लगभग		1- स्वयं 2- श्रीमती बेलिया बाई माँ 3- श्रीमती जमुनी बाई-बहन	निरंक	संयुक्त पुस्तैनी सम्पत्ति

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी

सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवामें पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरा दें।

हस्ताक्षर  15.01.2025

नाम - भगवतदीन सिंह परस्ते

पद - अपर सचिव

332
31/12/25

04



फार्म
(31.12.2024 की स्थिति में)
* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष -2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - वीरेन्द्र कुमार, म.प्र. विधान सभा, 2. वर्तमान धारित पद - अपर सचिव
3. वर्तमान वेतन रुपये 1,69,200 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.01.2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***धरीय, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा जोरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. भोपाल	ए-6, वेंकटेश नगर, ई-6 गुलमोहर कॉलोनी 223.12 sqm	—	लगभग रुपये एक करोड़ दस लाख	—	capital gain Account एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्य लेकर	3,84,000/-	—
2. भोपाल	LIG-36-2 बी, साकेत नगर 232.34 sqm	—	लगभग रुपये 70 लाख	80% पीनली गुरेखा (पत्नी)	भारतीय स्टेट बैंक से भूखण्ड प्राप्त कर भूख.	48,000/-	—
3. ग्राम-बरेल, लक्ष्मीपुर जिला - मधुबनी	भवन	3 बीघा	—	पिताजी के नाम से अभी बेटवारा नहीं.	विरासत में	—	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के तत्पर्य में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वह गृहीते की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली थी उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे व बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे दें

हस्ताक्षर 31/12/25
नाम - वीरेन्द्र कुमार
पद - अपर सचिव
विभाग - मध्य प्रदेश विधान सभा.

५९
८/१/२५

(३१.१२.२०२५ की देखरी में)

०७



फार्म

*** प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२४**

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्याम सुन्दर राजपाल २. वर्तमान धारित पद तफ्तीकी संचालक
३. वर्तमान वेतन रुपये १६५३००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संचाय, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	व्ययिक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
B-166 आकृति गार्डन नेहरू नगर भोपाल	भवन	-	लगभग ५० लाख	स्वयं और पत्नी के नाम है	खरीद (बैंक ऋण द्वारा)	नहीं स्व-आधारित	स्टेट बैंक भोपाल से ११ लाख रुपये गृहनिर्माण क्रेण ले कर वर्ष २००३ में किया गया है।

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्योरे दें।

हस्ताक्षर
नाम
पद

163
18/11/25

08



फॉर्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचलसंपत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती मंजू गजभार 2. वर्तमान धारित पद विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
3. वर्तमान वेतन 1,13,800/- अग्रीचेतनवृद्धि की तारीख जुलाई, 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा और		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हों तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, गेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. गौरी अड निमोल ग्राम अछाड़िकाकम गोपाल	—	भूखण्ड	—	स्वयं के नाम पर	राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त एवं तबतक आय का रजिस्ट्रार के पास	—	राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त एवं तबतक आय का रजिस्ट्रार के पास
2. तिरुपति ग्राम कालेनी, ग्राम - शेनरी, फंदा, सुपूर गोपाल	—	भूखण्ड	—	स्वयं के नाम पर	भारतीय रजिस्ट्रार के माध्यम से	—	राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त एवं तबतक आय का रजिस्ट्रार के पास
3. आवासीय ग्राम कालेनी, ग्राम - फंदा, सुपूर गोपाल	—	भूखण्ड	—	स्वयं के नाम पर	स्वयं के वेतन अर्थात् से	—	— do —

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बादत्येक बार अपने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उ विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम श्रीमती मंजू गजभारपद विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

15/11/2025

148
15/125

09



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024-2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डॉ. रीता लाल प्रजापति 2. वर्तमान धारित पद उप सचिव (प्रशा.)
3. वर्तमान वेतन ₹ 5,600/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जानवरी 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राम-पोस्ट पंचदेही तहसील बलौली (जिला बलौली) (मंडल 9)		मकान/भूमि		स्वयं के नाम पर	पैसा		
2. कमोडिटीजोड हाऊसिंग बोर्ड कलकत्ता, ओ.आर.		मकान - 1200 स्क्वायर फीट में S.R. मा. 4, 18.28 फीट - 5 फीट - 4 अल्टीमेटोडोर गोपनी		—	S.I. से लोन (हस्तगत) पर अर्जित किया गया		

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
नाम डॉ. रीता लाल प्रजापति
पद उप सचिव (प्रशा.)

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रमेश महाजन, म.प्र.विधानसभा सचिवालय 2. वर्तमान धारित पद प्रभारी उप सचिव

3. वर्तमान वेतन लेवल 14 (रु. 79900-206900) अगली वेतन वृद्धि की तारीख दि. 31.01.25 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण.

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. जिला भोपाल	जे.एच. 62 ब्लाक नं.16, सह्याद्री परिसर, भद्रभदा रोड, भोपाल	91 मी.	अनाकलित	स्वयं एवं पत्नी के संयुक्त नाम पर	आई.सी.आई.सी.आई होम फा.कं. से गृह ऋण लेकर	X	X
2. तह. जिला बुरहानपुर	ब्लाक नं. 36, प्लाट नं. 123, पैतृक आवास में एक तिहाई भाग	1591.2 वर्गफीट लगभग	अनाकलित	बड़े भाई के साथ संयुक्त संपत्ति	विरासत से प्राप्त	36000/-	X
3. ग्राम बादखेड़ा / शाहपुर तह. जिला बुरहानपुर	खसरा क्र. 144 -"- खसरा क्र. 11 शाहपुर	5.940 हे. 2.890 हे. कृषि भूमि	अनाकलित	स्वयं तथा बड़े भाई के संयुक्त नाम पर	विरासत से प्राप्त	कृषि भूमि से लगभग 1900000/-	X
4. ग्राम महाबडिया, तह. हुजूर, जि. भोपाल	टूलिप ग्रीन्स, जी-21, ग्राम महाबडिया, तह. हुजूर, जिला भोपाल	1000 वर्गफीट (92.96 वर्गमी.)	रु. 36,78,000/- क्रय मूल्य	पत्नी तथा स्वयं के नाम पर संयुक्त रूप से	बुरहानपुर की विरासत में प्राप्त सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से गृह ऋण लेकर.	X	X
5. ग्राम बावडियाकलां, त. हुजूर, जि. भोपाल	गैलेक्सी टावर, C-204 ग्राम बावडिया कलां, त. हुजूर जि. भोपाल.	118 वर्गमी.	रु. 40,00,000/- क्रय मूल्य	पत्नी तथा स्वयं के नाम पर संयुक्त रूप से	विरासत में प्राप्त कृषि भूमि के विक्रय तथा कृषि से प्राप्त राशि	स्वयं निवासरत	X

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरा दें।

हस्ताक्षर

नाम : रमेश महाजन

पद : प्रभारी उप सचिव

194
20/1/25

12



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20²⁵

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री. डी. गोपाल 2. वर्तमान धारित पद सि. य. म. 3
3. वर्तमान वेतन 51511-355 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<u>प्रतिभा</u>			

समाप्त 07/01/25 51511-355

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् वह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर डी. डी. गोपाल

नाम डी. डी. गोपाल

पद सि. य. म. 3

Shubham
20/02/25
Cao.

379
20/2/25

13

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यारे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला कोटा तहसील ग्राम कोरवा औरंगाबाद पंचायत क: 23	मकान	-	परिमाण कोटा मकान		कविपति निधि कोटा एवं औरंगाबाद मकान निधि कोटा ग्राम	मकान	

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन षट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर षट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यारे दें।

हस्ताक्षर
नाम
पद

40
8/1/25

14



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजिन्द्र वर्मा 2. वर्तमान धारित पद डायर सचिव
3. वर्तमान वेतन Rs 70100 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यारा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) ग्राम खुर्खुर्जी विश्व. फन्दा तल्ली हुजूर जिला ओपाल	—	30x50=1500 काफ़ी लगाई 113	2.15 लाल	श्रीमती मंजुश्री वर्मा (पत्नी)	भूत का फ्लैट विक्रय करके (रु. 4.50 लाख) शेष सौंय की व्ययत से	—	
2) ग्राम नाण्डखोड़ा विश्व. फन्दा तल्ली हुजूर जिला ओपाल	—	25x35=875 काफ़ी लगाई 636	3.00 लाल	स्वयं	—	—	

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वह गृहीत की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यारे दें।

हस्ताक्षर Rajendra
नाम राजिन्द्र वर्मा
पद डायर सचिव

25
8/11/25

15



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो नरेश कुमार शर्मा 2. वर्तमान धारित पद 3192 सचिव

3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Narenc Kumar
 नाम (नरेश कुमार शर्मा)
 पद 3192 सचिव

290
27/1/25

16



फार्म

* अचल संपत्ति का विवरण वर्ष - 2024

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - हरीश श्रीवास, विधान सभा सेवा 2. वर्तमान धारित पद - प्रशासकीय अधि.3. वर्तमान वेतन रुपये अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01.07.2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा ज्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ज्योरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
पूर्वानुसार निरंक	पूर्वानुसार निरंक	पूर्वानुसार निरंक	पूर्वानुसार निरंक	पूर्वानुसार निरंक	पूर्वानुसार निरंक	पूर्वानुसार निरंक	पूर्वानुसार निरंक

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार न्यूनतम महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली थी उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे व बंध या उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ज्योरे दें।

हस्ताक्षर Praveen 27/1/25नाम :- हरीश श्रीवासपद :- प्रशासकीय अधिकारीविभाग :- मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

हरीश कुमार श्रीवास
प्रशासकीय अधिकारी (अ.स.)
मध्यप्रदेश विधान सभा

262
22/11/25

17



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 25

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रवीन्द्र नारायण डो 2. वर्तमान धारित पद डिप्टी कमिश्नर (कार)
3. वर्तमान वेतन 84000 + D.A अगली वेतनवृद्धि की तारीख एप्रिल 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरा		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	व्यक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रवीन्द्र नारायण पेन-1 ग्राम-बनसिक बल्ल, नारायण निवास आई. 3. 52, नरसिंह हनुमन्, मोरह (क. 5)	-	195109 बनसिक ग्राम निवास	लगभग 500000000 (क. 5) रुपये	पत्नी श्रीमती रमणा देवी के नाम पर	पूरी में 1A.4, हेक्टर लड़क. कैलाशजी के निवास में 84000 के निवास 116.19 वर्ग मीटर, शहर बागमती, नारायण 85, मोरह में 11,25000 = 100 के निवास निरुद्ध मुम्बई के 42,130000 में निवास कर।	-	-

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरा दें।

हस्ताक्षर रवीन्द्र नारायण डो
नाम रवीन्द्र नारायण डो
पद डिप्टी कमिश्नर

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शिवप्रसाद बुंदेला, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय 2. वर्तमान धारित पद : अवर सचिव (प्रभार)

3. वर्तमान वेतन : 64,200/- अन्य

अगली वेतनवृद्धि की तारीख :

01.07.2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम गौरा, तहसील हुजूर, भोपाल (म.प्र.)	-	1000 वर्ग फिट	5,00,000/-	स्वयं एवं पुत्र के नाम पर	स्वयं की वचत से	-	-
फ्लैट क्र. एफ 101, सरस्वती अपार्टमेंट, ई 8/340, चिलंगा भोपाल (म.प्र.)	-	2 BHK फ्लैट (रिसेल)	15,00,00/-	स्वयं के नाम पर	एल.आई.सी. से लोन लेकर	-	-

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्यों के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम : शिवप्रसाद बुंदेला

पद : अवर सचिव (प्रभार)

मध्यप्रदेश विधान सभा
सचिवालय, भोपाल.

353
14/2/25

19

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो: माधव दफ्तरी 2. वर्तमान धारित पद : अवर सचिव(प्रभार)
3. वर्तमान वेतन रुपये 59,100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई, 2025.

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम या व्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कटारा ग्राम भोपाल	फ्लैट नम्बर P-5/404 प्राइड सिटी कटारा हिल्स भोपाल	निरंक	रु.20,00,000/- अनुमानित	स्वयं एवं पत्नी श्रीमती संचिता दफ्तरी के संयुक्त नाम पर	विभाग से अनुमति प्राप्त कर स्वयं एवं पत्नी के संयुक्त नाम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भोपाल से गृह कृण प्राप्त कर, स्वयं के सामान्य भविष्य निधि खाते से राशि आहरण कर एवं स्वयं एवं पत्नी की वचत राशि से क्रय	रु.54,000/- वार्षिक	

* जहां लागू न हो काट दिया।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक(आचरण)नियम, 1959 के नियम 18(3)के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी

सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्योरे दें।

हस्ताक्षर
14/02/2025

नाम : माधव दफ्तरी

पद : अवर सचिव(प्रभार)

121
18/11/25

20



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो महावीर सिंह,
म.प्र. विधान सभा सचिवालय सेवा 2. वर्तमान धारित पद सूचना अधिकारी
 3. वर्तमान वेतन 55700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ईशान ग्रान्ड इस्टेट, ग्राम समरथा टोशागाबाद रोड, भोपाल	भू-खण्ड	1250 वर्गफिट	वर्तमान मूल्य अनुसार	स्वयं एवं पत्नी के संयुक्त नाम पर	HDFC से ऋण लेकर तथा GPF से उधार का डिपॉजिट 20.11.2020 को क्रय किया गया था	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर महावीर सिंह 10.1.2025
 नाम महावीर सिंह
 पद सूचना अधिकारी
 (महावीर सिंह)
 सूचना अधिकारी

140
151145

(31.12.2024 की तिथि-में)



22

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्याम कुमार उरासी 2. वर्तमान धारित पद प्रतारणी प्रतिकर्षक
3. वर्तमान वेतन 159500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.01.2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यारा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
① बेरागढ़- (मोपाल)	भवन 216 बरस झेलिया बेरागढ़ (मोपाल)	-NA-	6570 MTR (अनुमानित)	(स्वयं के नाम पर)	एक मुश्तक एवं गिरजा से (जानकारी पूर्णतः नहीं है)	-NIL-
② बेरागढ़- (मोपाल)	भवन 6570 A-21/216 बेरागढ़	-NA-	20-25 लक्ष (अनुमानित)	(स्वयं के नाम पर)	(जानकारी पूर्णतः नहीं है)	-NIL-
③ जुनेरु कीसी (वेतना बंदी) (लखी बंदी) मोपाल (म.प्र.)	-NA-	मूल्य (रु. 157) 125059.48	-	पत्नी के नाम पर	खरीद से दि. 29/3/2015 को (जानकारी पूर्णतः नहीं है)	-NIL-

- * जहां लालू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यारे दें।

हस्ताक्षर Shyam Kumar
नाम श्याम कुमार उरासी
पद प्रतारणी प्रतिकर्षक

23

274
10/1/25

- हस्ताक्षर 2025
नाम
पद
गुरु-दीक्षा प्रतीक

217
20/11/25

24



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024.

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विनोद जायसवाल 2. वर्तमान धारित पद उप संचालक (ह)
3. वर्तमान वेतन 80,300 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई - 25

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राहलीक कोतार कोतार (ह.प्र.)	D.K. 5/15-H रविशंकर गुप्ता, कोतार रोड, कोतार	-	45,000.00 पैसाफिर काय मिथुनपिता	स्वयं स्व भूमि के ऊपर पड़े हैं।	बैंक के ऋण (ह.प्र.) स्व स्वयं अर्जित तथा लाभान्वय भविष्य निधि स्वाते की।	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार ह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर विनोद जायसवाल
नाम विनोद जायसवाल
पद उप संचालक (ह)

315
30/1/25



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कर्मजीत सिन्हा 2. वर्तमान धारित पद उप संचालक
म.प्र. विधान सभा ओपनल (म.प्र.)
 3. वर्तमान वेतन 98,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. <u>चौसी बलान</u> <u>3 रिपेज</u> <u>बैली कयरा</u> <u>कयरा जीव</u> <u>ओपाल म.प्र.</u>	<u>प्लॉट</u>	<u>-</u>	<u>14,00,000/-</u>	<u>स्वयं</u>	<u>बैंक लोन अपनी जमा पूंजी</u> <u>अस्तित्व मिथ से आपसानी</u> <u>विनियम से रूप किया</u> <u>गया था।</u>	<u>/</u>	<u>/</u>
2. <u>31 जालमीन</u> <u>बलान कडगलिश</u> <u>विला (उपलेख)</u> <u>जीव बैरदा</u> <u>क्राफार रोड</u> <u>ओपाल</u>	<u>उपलेख</u>	<u>-</u>	<u>30,00,000/-</u>	<u>स्वयं</u>	<u>बैंक लोन हैत जमा पूंजी</u> <u>अस्तित्व मिथ से आपसानी</u> <u>रेलवे पौजा विक्रत से उक्त</u> <u>उपलेख विनियम 2024</u> <u>17 मई को रूप किया</u> <u>गया है।</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सगस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम कर्मजीत सिन्हा
 पद उप संचालक (म.प्र.)

52
8/1/21

26

(31.12.2024 की स्थिति में)

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2028*



1. अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अजय चौरे विधान सभा सेवा 2. वर्तमान धारित पद कार्यवाही संपादक

3. वर्तमान वेतन- बेसिक पे 159500+ अन्य भत्ते

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.01.2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा स्थिति		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामंजस्य कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अंजित किया गया *** खरीद, पट्टा, दण्ड, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अंजित की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा ज्वारा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. कोलार रोड भोपाल	ऑर्डर्ड स्केडर में प्लॉट क्रमांक BR-7	-	वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य अनुसार	मेरे व श्रीमती रक्षा चौरे (पत्नी) के संयुक्त नाम पर	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स भोपाल से ऋण लेकर स्वदेश डेवलपमेंट एवं कॉलोनाइजर्स से क्रय किया	एक लाख तीस हजार रुपये माय	
2. जिला भोपाल तहसील हुजूर रचना नगर	रचना टावर्स में प्लॉट क्रमांक JR.MIG-01/404	-	वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य अनुसार	अजय चौरे (स्वयं)	स्वयं की वचत से मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित भोपाल से क्रय किया गया	निरंक	

* जहाँ लागू न हो बात दीजिए.

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए.

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं.

टिप्पणी- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अंजित अथवा उसे विरासत में मिली या उनके अपने नाम पर या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या संबंध पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के बारे में.

हस्ताक्षर 08/1/21

नाम- अजय चौरे

पद- कार्यवाही संपादक,

म.प्र. विधान सभा

25/02/25

410
25/2/25

27

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अमित कुमार अग्रवादी 2. वर्तमान धारित पद अवर सचिव
3. वर्तमान वेतन 67350-206950 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जनवरी 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① पो. तालबेहर जिला लखितपुर उ.प्र.	पैतिक मकान	कुछ भूमि पुराना मकान, पांच दुकानें	(40 एकड़) लगभग 4 करोड़	स्वयं एवं स्वयं व भाई फैसल अग्रवादी के साथ संयुक्त	पैतिक	-	-
② भोपाल	A 805 रहुल नगर भोपाल	जलैर	40 लाख लगभग	स्वयं एवं पत्नी श्रीमती अनामिका अग्रवादी के नाम पर	बचत, बैंक अटल (केनरा बैंक) द्वारा	15000/- मासिक	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर अमित कुमार अग्रवादी
नाम अमित कुमार अग्रवादी
पद अवर सचिव, म.प्र. विधानसभा
25/02/25

25.07.25

409
25/7/25

28

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अर्चना सिंह मादव 2. वर्तमान धारित पद अवर सीपव
3. वर्तमान वेतन 67300 - 206900 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जनवरी - 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	311, आभारिगिता कॉलोनी (वेस्ट ब्लॉक) अक्मपुरी (भोपाल)	-	72 लाख	स्वंप एवं पति (अनुज प्रताप सिंह) के नाम	स्वंप के बचत तथा बैंक ऋण द्वारा 2007 में क्रय किया गया	-	-
भोपाल	SR-MAF-2 फ्लैट नं. 708 रचना टावर (भोपाल)	-	82 लाख	स्वंप के नाम पर	स्वंप के बचत तथा पंजान नेशनल बैंक से लोन प्राप्त कर मार्च 2022 में म.प्र. आवास कं. से क्रय किया	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वागित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर अर्चना सिंह मादव
नाम अर्चना सिंह मादव
पद अवर सीपव म.प्र. विधानमंडल

312
30/11/25

29



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024-25

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो क्षीमती शबनम राना 2. वर्तमान धारित पद स्टॉफ ऑफिसर
3. वर्तमान वेतन रु. 93109/- डी.ए. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई, 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निरंक			

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीनीकरण की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर क्षीमती शबनम राना
नाम क्षीमती शबनम राना
पद स्टॉफ ऑफिसर

20
7/1/25

30



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विमोद कुमार डूले 2. वर्तमान धारित पद हॉटेल ऑफिसर
म. प्र. विधान सभा
3. वर्तमान वेतन रुपये 43108/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2025

उत्त जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
—	2	वर्ग	रु	स्तर	—	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर विमोद कुमार डूले 03/01/2025
 नाम विमोद कुमार डूले
 पद हॉटेल ऑफिसर

(31.12.2024 की स्थिति में)

* प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण वर्ष -2024



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - रूपेश सिंह, विधान सभा सेवा 2. वर्तमान धारित पद - निज़ सचिव

2. वर्तमान वेतन 95,500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***धरीय, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. मोपाल, बाबदियाफता, रोहिल नगर गृह निर्माण समिति	मकान- 177 रोहिल नगर फेज-1 गुलमोहर नगर के जाने, मोपाल	1500 वर्ग फीट	मानार अनुसार मूल्य	स्वयं का मकान	रोहिल नगर गृह निर्माण समिति के माध्यम से अर्जित किया गया।	—	भवन निर्माण हेतु S.B.I. पंचायत भवन, न्यू मार्केट की शाखा से रुपये 11 लाख का कर्ज लिया गया है।

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीनी की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित तथा उसे विरासत में मिली की उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे व बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के व्यौरा दें।

हस्ताक्षर
नाम - रूपेश सिंह
पद - निज़ सचिव
विभाग - मध्य प्रदेश विधान सभा.

(2 जनवरी, 24 को टिप्पण शाखा को प्रेषित)

269
28/11/25

32



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी 2. वर्तमान धारित पद अनुसंधान अधिकारी
3. वर्तमान वेतन 66,500 + D.A अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - दोरूर मजगाँव जिला सीता (अ-5)	रहायसी भवन	कृषि योग्य भूमि 08 एकड़ लगभग	20 लाख क्रमशः लगभग	स्वयं	पुस्तैनी	2000000/- (दो लाख) लगभग	
नैहक नगर सीता (अ-5)	रहायसी भवन 30x65 फर		20 लाख क्रमशः लगभग	स्वयं	पुस्तैनी		
ग्राम - सलुखेदी मुतासीरी पैराडा कोलार रोड गोपाल	D-12 मुतासीरी पैराडा में 35x65 फर तथा रहायसी भवन		21 लाख क्रमशः लगभग	स्वयं	वर्ष 2008 (अक्टूबर) में भारतीय बैंक लोन से प्रीसेल करी प्रीमरी अडिग प्रीवालेन w/o प्री दीपक प्रीवालेन पारल हेरिटेज गैंगवाल		

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वह गृहीत की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी
नाम राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी
पद अनुसंधान अधिकारी

95
10/1/25

33

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विष्णु प्रताप सिंह, पुलिस शाखा 2. वर्तमान धारित पद अनुसंधान अधिकारी (पुलिस)
3. वर्तमान वेतन 64600 + 4000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जनवरी 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<u>nil</u>			

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे दें।

हस्ताक्षर विष्णु प्रताप सिंह
नाम विष्णु प्रताप सिंह
पद अनुसंधान अधिकारी (पुलिस)